



कोविड-19 का जनजातीय श्रमिकों के सामाजिक – आर्थिक जीवन पर प्रभाव

शोधार्थी

वालचंद यादव

समाजशास्त्र विभाग

मो.ला.सु.वि.वि. उदयपुर

दक्षिणी राजस्थान के अन्तिम छोर पर स्थित मध्यप्रदेश और गुजरात की सीमाओं से छूता हुआ बांसवाड़ा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहां कुल जनसंख्या का लगभग 73 प्रतिशत जनजाति लोग निवास करते हैं। उनकी आजीविका का मुख्य साधन कृषि है। शिक्षा एवं जागरूकता की दृष्टि से भी यह जिला राज्य के सबसे निम्न पायदान पर है। यहां के आदिवासी अपनी आजीविका एवं परिवार के भरण-पोषण के लिए सस्ते श्रम में पड़ोसी राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में जोखिम भरे कारखानों में कार्य करने को मजबूर हैं।

वैश्विक महामारी Covid-19 के कारण भारत ही नहीं विश्व के अधिकांश देशों में लॉकडाउन के विकल्प को अपनाया गया है। इस समय भारत में जारी लॉकडाउन के दौरान श्रमिक वर्ग को पलायन जैसी गम्भीर समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान होने वाला पलायन सामान्य दिनों की अपेक्षा होने वाले पलायन से एकदम उलट है, अमुमन हमने रोजगार पाने व बेहतर जीवन जीने की आशा में गांव और कस्बों से महानगरों की ओर पलायन होते देखा है परन्तु इस समय महानगरों से गांवों की ओर हो रहा पलायन निःसंदेह चिन्ताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इस स्थिति को ही जानकारों ने रिवर्स माग्रेसन (Reverse Migration) की संज्ञा दी है।

सामान्य शब्दों में रिवर्स माग्रेसन से तात्पर्य महानगरों और शहरों से गांव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है, बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गांव की ओर प्रवासन हो रहा है, लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम धन्धा बन्द होने की वजह से श्रमिकों



का बहुत बड़ा हूजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही सड़कों पर उतर पड़ा। इस प्रवासी संकट को दूर करने के लिए सरकार ने आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में मनरेगा के लिए 40 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त फण्ड आवंटित किया है।

पलायन से जनजाति क्षेत्र का स्थानीय विकास अवरुद्ध होता जा रहा है। पलायन विकास को अवरुद्ध करता है। जिले के जनजाति श्रमिक बाहर जा रहे हैं वहां उनका भरपूर शोषण होता है और साथ ही वे दुर्बसनों का भी शिकार होते जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप उनके नैतिक मूल्यों में एवं जनजातीय गौरवमय संस्कृति में निरन्तर गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिली है। इस पलायन से जनजाति संरचना में आर्थिक दृष्टिकोण से सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों स्थितियां देखने को मिल रही हैं।

पंचायती राज व्यवस्था एवं केन्द्रीय योजनाओं के तहत यह उम्मीद की गई थी कि स्थानीय संसाधनों के विकास एवं नए रोजगार एवं नरेगा की संभावनाओं से पलायन रुकेगा किन्तु अपेक्षित परिणाम नहीं निकले वरन् इसे प्रोत्साहन ही मिला क्योंकि पंचायतें राजनीतिक व्यवस्था की शिकार होती गई, आर्थिक विकास अवरुद्ध होता गया एवं पलायन इनकी नियति बन चुकी है। अध्ययन क्षेत्र बांसवाड़ा जिले के जनजातीय समुदाय कृषि एवं उससे संबंधित उत्पादन पर निर्भर करते हैं। यहां के लोगों का सम्पूर्ण जीवन मोटा अनाज मक्का पर निर्भर करता है, यदि मक्का की उपज असफल रही तो यहां के लोगों को वर्ष भर संकट का सामना करना पड़ता है। अतः जनजातियों का सम्पूर्ण जीवन आधार कृषि है, कृषि का स्वरूप भी अनुपजाऊ एवं एक फसलीय ढांचे वाला है। यहां की बढ़ती जनसंख्या एवं उनके आवश्यकताओं की वृद्धि ने जनजाति क्षेत्रों से श्रम पलायन की प्रवृत्ति में निरन्तर वृद्धि की है। जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय श्रम की अनुपलब्धता रहती है।

एक स्थान से अन्यत्र चले जाने को पलायन कहते हैं। भारत में गरीब मजदूरों के आंतरिक पलायन में वृद्धि हो रही है। अनौपचारिक क्षेत्र में गरीब आमतौर पर आकस्मिक मजदूरों के रूप में पलायन करते हैं। प्रवासियों की ऐसी जनसंख्या में रोग फैलने की संभावना ज्यादा होती है और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता भी कम होती है।



वर्ष 2001 की जनगणना अवधि के दौरान देश में ज्यादा आर्थिक लाभ वाले शहरों या दूसरे इलाकों में काम करने के लिए 14 करोड़ 40 लाख लोगों ने प्रवास किया। देश में 25 लाख प्रवासी मजदूर कृषि एवं बागवानी, ईट-भट्टों, खदानों, निर्माण स्थलों तथा मत्स्य प्रसंस्करण में कार्यरत है। (एनसीआरएल 2001) प्रवासियों की बड़ी संख्या शहरी अनौपचारिक उत्पादन निर्माण, सेवा या परिवहन क्षेत्रों में काम करते हैं। साथ ही, वे आकस्मिक मजदूर सिर पर बोझा ढोने वाले मजदूर, रिक्शा चालकों और फेरीवालों के रूप में कार्यरत हैं। काम के आकस्मिक प्रकृति के कारण आवास स्थान में तीव्र बदलाव से वे रोग-निवारक सेवा से वंचित होते हैं और शहर के अनौपचारिक कार्य व्यवस्था में उनकी कार्य दशा उन्हें पर्याप्त उपचारात्मक सेवा पाने से असमर्थ कर देती है।

प्रवासियों में जो अतिदुर्बल हैं उन पर आंतरिक विस्थापित लोगों के रूप में ध्यान देने की जरूरत है। भारत में आंतरिक विस्थापित लोगों की संख्या 6 लाख (आईडीएमसी, 2006) के करीब है। आंतरिक विस्थापन जातीय संघर्ष साम्प्रदायिक संघर्ष, राजनैतिक कारणों से विकास परियोजनाओं और प्राकृतिक विनाश के कारण होता है। आंतरिक विस्थापित लोग सरकारी सामाजिक सुरक्षा पाने असमर्थ होते हैं।

जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ आंकलित की गई है जिसमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है और 31.16 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में ग्रामीण एवं शहरी आबादी का अनुपात 83 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत था। 50 वर्ष बाद 2001 की जनगणना में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 74 एवं 26 प्रतिशत हो गया। इन आंकड़ों के देखने पर स्पष्ट परिलक्षित होता है कि भारतीय ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है।

गांवों से पलायन के प्रमुख कारण



परम्परागत जाति व्यवस्था का शिकंजा – परम्परागत जाति व्यवस्था का शिकंजा इतना मजबूत है कि शासन और प्रशासन भी उदासीन बना रहता है। जैसा कि पिछले दिनों उत्तर भारत के कुछ हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि में अन्यायपूर्ण कर आदेशों को देखने पर स्पष्ट हो जाता है जिसमें सड़ते और दबते रहने की बजाय लोग पलायन करना पसंद करते हैं।

शहरों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना – औद्योगिकरण शहरीकरण की पहली सीढ़ी है। आजादी के बाद भारत ने देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा दो कदम छोटे-बड़े उद्योगों की स्थापना का अभियान चलाया। ये सभी उद्योग शहरों में लगाए गए जिसके कारण ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश एवं आजीविका के लिए शहरों में पलायन करवा आवेक हो गया।

नगरीय चकाचौंध – भारत में गांवों से पार की ओर पलायन की प्रति बेहद ज्यादा है। जहां गांव विमान गरीबी, जारी, कमल गोमती बेरोजगारी, जाति और परंपरा पर आधारित सामाजिक दया, अनुपयोगी होती भूमि, वर्षा का अभाव एवं प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि कारणों ने न सिर्फ लोगों को बाहर भेजने की प्रेरणा दी वहीं शहरों में अपनी चकाचौंध सुविधाएं, युवाओं के सपने, रोजगार के अवसर, आर्थिक विषमता, निम्न और अनवरत अवसरों में आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस प्रकार पुरुष और महिलाओं के एक बड़े समूह ने गांव में शहर की ओर पलायन किया। वर्ष 2001 से 2011 शहरी जनसंख्या में 5.16 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

शिक्षा और साक्षरता का अभाव – शिक्षा और साक्षरता का अभाव पाया जाना ग्रामीण जीवन का एक बहुत नकारात्मक पहलू है। गांवों में न तो अच्छे स्कूल होते हैं और न ही वहां पर ग्रामीण बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिल पाते हैं। इस कारण हर ग्रामीण माता-पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए शहरी वातावरण की ओर पलायन करते हैं।

रोजगार और मौलिक सुविधाओं का अभाव – गांवों में कृषि भूमि का लगातार कम होते जाना, जनसंख्या बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी-रोटी की तलाश में



ग्रामीणों को शहरों नगरों की तरफ जाना पड जाता है। गांवों में मौलिक आवकताओं की कमी भी पलायन का एक बड़ा कारण है। गांवों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आवास, सड़क, परिवहन जैसी अनेक सुविधाएं शहरों की तुलना में बेहद कम है। इन बुनियादी कमियों के साथ-साथ गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर भी बहुत से लोग शहरों का रुख कर लेते है।

सामाजिक – आर्थिक जीवन पर प्रभाव

गांवों से शहरों की ओर पलायन का सिलसिला कोई नया मसला नहीं है। गांवों में कृषि भूमि के लगातार कम होते जाने, आबादी बढ़ने और प्राकृतिक आपदाओं के चलते रोजी-रोटी की तलाश में ग्रामीणों को शहरों-कस्बों की ओर पलायन करना पड़ा। गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी पलायन का एक दूसरा बड़ा कारण है। गांवों में रोजगार और शिक्षा के साथ-साथ बिजली, आवास, सड़क, संचार, स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं शहरों की तुलना में बेहद कम है। इन बुनियादी कमियों के साथ-साथ गांवों में भेदभावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के चलते शोषण और उत्पीड़न से तंग आकर भी बहुत से लोग शहरों का रुख कर लेते हैं।

हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर घट रहा है जिसके पीछे मुख्य कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन है। आज देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए गांवों में बुनियादी विकास की मूल आवश्यकता है। गांवों में शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। देश में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों को समूल नष्ट करना होगा तथा हर जगह शिक्षा की अलख जगानी होगी। शिक्षा के माध्यम से ही ग्रामीण जनता में जनचेतना का उदय होगा तथा वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकेंगे।

एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना और अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना पलायन कहलाता है। लेकिन यह पलायन की प्रवृत्ति कई रूपों में देखी जा सकती है जैसे एक गांव से दूसरे गांव में, गांव से नगर, नगर से नगर और नगर से गांवों में परन्तु भारत में गांव से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा है। एक तरफ जहां शहरी चकाचौंध, भागम-भाग जिन्दगी, उद्योगों, कार्यालयों तथा विभिन्न



प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर परिलक्षित होते हैं। शहरों में अच्छे परिवहन के साधन, शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य सेवाओं ने भी गांव के युवकों, महिलाओं को आकर्षित किया है। वहीं गांव में पाई जाने वाली रोजगार की अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव ने लोगों को पलायन के लिए प्रेरित किया है।

पंचायतों के अस्तित्व में आ जाने के बाद सरकार के पास ऐसी बड़ी मशीनरी खड़ी हो जाती है जो बिना खर्च के कार्य करने के लिए तत्पर रहती है जिसमें जनता का विश्वास निहित होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि "पंचायत संस्थाएं प्रजातंत्र की नर्सरी हैं। हमारे देश या प्रजातंत्र की विफलता के लिए सर्वप्रथम दोष नेतृत्व को दिया जाता है। पंचायतों में कार्य करते हुए पंचायत प्रतिनिधियों को स्वतः ही उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त हो जाता है जिसका उपयोग वे भविष्य में नेतृत्व के उच्च पदों पर कर सकते हैं। राजनैतिक नेतृत्व की शुरुआत पंचायत स्तर से होनी चाहिए। सरदार पटेल. पं. जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस तथा गोविन्द वल्लभ पंत केन्द्रीय सरकार में आने से पूर्व नगरपालिकाओं में मेजर या अध्यक्ष रह चुके हैं।

ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन रोकने और उन्हें गांव में ही रोजगार मुहैया कराने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। भारत में ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रथम प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्र का विकास और ग्रामीण भारत से गरीबी और भूखमरी हटाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव और शहरी अन्तर कम करने, खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर लोगों को सुदृढ़ करना जरूरी है। इसलिए सरकार की ओर से एक नई पहल की गई।

गांवों से शहरों की ओर हो रहे पलायन को रोकने के लिए पूर्व में अनेक प्रावधान किए हैं। सरकार की कोशिश है कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले। उन्हें गांव में ही शहरों जैसी आधारभूत सुविधाएं मिलें। दिनांक 02 फरवरी, 2006 को देश के 200 जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लागू होने के बाद पंचायती राज व्यवस्था काफी सुदृढ़ हुई है। सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ है कि ग्रामीणों



का पलायन रुका है। लोगों को घर बैठे काम मिल रहा है और निर्धारित मजदूरी (119 रुपये वर्तमान में) मजदूरों में इस बात की खुशी है कि उन्हें काम के साथ ही सम्मान भी मिला है। कार्यस्थल पर उनकी आधारभूत जरूरतों का भी ध्यान रखा गया है। उन्हें यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि "अब गांव-शहर एक साथ चलेंगे, देश हमारा आगे बढ़ेगा।"

गांवों से पलायन रोकने के प्रमुख सुझाव –

1. समानता और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना
2. रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना
3. मौलिक सुविधा उपलब्ध कराना
4. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की स्थापना

आजादी के बाद पंचायती राजव्यवस्था में सामुदायिक विकास तथा योजनाबद्ध विकास की अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से गांवों की हालत बेहतर बनाने और गांव वालों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को अधिक मजबूत तथा अधिकार सम्पन्न बनाया गया और ग्रामीण विकास में पंचायतों की भूमिका बढ़ गई है। पंचायतों में महिलाओं व उपेक्षित वर्गों के लिए आरक्षण से गांवों के विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों की हिस्सेदारी होने लगी है। इस प्रकार से गांवों में शहरों जैसी बुनियादी जरूरतें उपलब्ध करवाकर पलायन की प्रवृत्ति को सुलभ साधनों से रोका जा सकता है।

21वीं सदी में भील समुदाय की अपनी एक अलग विशिष्ट पहचान है जो कि इनकी परम्परागत सांस्कृतिक धरोहर के जीवन दर्शन कराती है। गवरी दक्षिणी राजस्थान में निवास करने वाली जनजातियों की एक विशेष नृत्य नाटिका है जो इनकी धार्मिकता एवं सांस्कृतिक कला का जीता जागता नमूना है। आज व्यथा यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। सामाजिक संगठन कमजोर होते जा रहे हैं। संस्कृति भी संक्रमण के दौर से गुजर रही है। आज आवश्यकता इस बात की है कि इनका विकास विलक्षण सामाजिक एवं



सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करते हुए किया जाए अन्यथा इनकी परम्परागत सांस्कृतिक पहचान आने वाले कुछ वर्षों में ही समाप्त हो जायेगी।

श्रमिकों के गांव की ओर प्रवासन से दे"ा के बड़े औद्योगिक केन्द्रों में चिंता व्याप्त है, वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया है या रूक गया है परन्तु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने से उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। श्रमिकों के पलायन से रियल स्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित हुआ है, भवनों का निर्माण कार्य रूक जाने से परियोजना की लागत बढ़ने की संभावना है। बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जायेगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Sherring, M.A. (1975) " The Tribes and castes of Rajathan Reprint, cosmos publication, Delhi (First Published, 1881)
2. Chattopadhyay, Kamla devi : Tribalesm in India, Vikas Publishing House, Pvt. Ltd. New Delhi 1978.
3. Doshi. S.L. : More on Feudalesm and Subaltern Tribals, Himanshu Publication , Udaipur, 1997.
4. Naik, TB. : Impact of Eudcation on the Bhils, Research programme comittee, planing commission, Dew Delhi, 1969.
5. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद : राजपूताने का इतिहास, खण्ड III, भाग II, बांसवाडा राज्य का इतिहास, वैदिक यंत्रालय, अजमेर (प्रथम संस्करण), वि.सं. 1993
6. जैन, श्रीचन्द्र : ये वनवासी भील, वनवासी भील और उनकी संस्कृति, रोशनलाल जैन एण्ड सन्स, जयपुर द्वितीय संस्करण 1974
7. तिवारी डां. शिवकुमार :मध्यप्रदेश के आदिवासी, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, प्रथम संस्करण, भोपाल, 1984
8. दोसी, डां. शम्भुलाल एवं व्यास डां. नरेन्द्र एन : राजस्थान की अनुसूचित जनजातियां, प्रथम संस्करण, हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, 1992
9. पलात, रामचन्द्र : राजस्थान की वनविहारी जनजातियां, श्री नीलकमल पलात एण्ड ब्रदर्स, पाल झोंथरी भीण्डा, जिला—डूंगरपुर (राज.), 1987
10. एस.के., सैनी "राजस्थान के आदिवासी" यूनिक ट्रेडर्स, जयपुर 2003



-
11. एच.वी., त्रिवेदी “जनजातीय संस्कृति तथा विकेन्द्रित आर्थिक विकास का विकल्प” संघी प्रकाशन, जयपुर 1992
 12. जगदीश चन्द्र, मीणा “ भील जनजाति का सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन” हिमांशु पब्लिकेशन्स, उदयपुर, 2003
 13. मोहनलाल, गुप्ता “उदयपुर संभाग का जिलेवार सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक अध्ययन” राजस्थानी ग्रन्थागार, जोधपुर, 2011